[This question paper contains 7 printed pages.]

1245

Your Roll No. .....

आपका अनुक्रमांक \_\_\_\_\_

LL.B.

III Term

JS

Paper LB-3032

## LABOUR LAW - I

Time: 3 Hours

Maximum Marks: 100

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित . स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note:—Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :- इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का मध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt five questions including Q. No. 1 which is compulsory.

All questions carry equal marks.

अनिवार्य प्रश्न क्रमांक 1 सिंहत कुल पाँच प्रश्न कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। P.T.O.

- 1. Attempt briefly any four of the following:
  - (a) Right of Government employees to strike.
  - (b) Conditions precedent to retrenchment of workmen under S.25F of the IDA 1947.
  - (c) Meaning of "Lay-off" under S. 2(kkk) of the I.D.A. 1947.
  - (d) Distinction between 'lock-out' and 'closure' under the I.D. Act, 1947.
  - (e) The nature and extent of powers of the Registrar under S.8 of the Trade Unions Act, 1926.

निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर संक्षेप में लिखिए:

- (क) सरकारी कर्मचारी का हड़ताल करने का अधिकार।
- (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25F के तहत कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्ते।
- (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(kkk) के तहत "कामबन्दी" का अभिप्राय।
- (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत "तालाबन्दी" और "बन्द" के बीच भेद बताइए।
- (ङ) ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 की धारा 8 के तहत रजिस्ट्रार के अधिकारों का स्वरूप और विस्तार।
- "The test for a trade union is its object, and not its personnel. But that does not imply that persons who are not workmen in an "industry" can form a trade union at all."

Critically examine the statement in the light of latest judicial trend.

"िकसी ट्रेंड यूनियन की परख उसके उद्देश्य से होती है न कि उसके कार्मिकों से। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं निकलता है कि वे व्यक्ति जो किसी "उद्योग" में कर्मकार नहीं हैं, भी ट्रेड यूनियन का गठन कर सकते हैं।"

नवीनतम न्यायिक प्रवृत्ति के आलोक में इस कथन की समीक्षात्मक जांच कीजिए।

3. There was a dispute between the management of X & Co. and its workers union, which was registered under the Trade Unions Act, 1926. The said dispute was regarding the non-payment of Bonus for the year 2007-08. The union decided to go on strike. The members of the union in order to make the strike a complete success made certain posters containing defamatory statements against the management. The management filed a suit for the recovery of damages against the office-bearers of the union. The management engages you as a lawyer. Argue the case on behalf of the management.

X & Co. के प्रबन्धकगण तथा इसकी कर्मकार यूनियन, जो ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, के बीच विवाद था। यह विवाद वर्ष 2007-08 हेतु बोनस की अदायगी न किए जाने के बारे में था। यूनियन ने हड़ताल पर जाने का विनिश्चय कर लिया। हड़ताल को पूर्ण सफल बनाने के लिए यूनियन के सदस्यों ने कतिपय पोस्टर तैयार किए जिनमें प्रबन्धकों के विरुद्ध मानहानि कर बयानों का उल्लेख था। प्रबन्धकों ने यूनियन के पदाधिकारियों के विरुद्ध नुकसानी वसूलने के लिए वाद फाइल कर दिया। प्रबन्धक आपको अपना वकील तैनात करते हैं। प्रबन्धकों की ओर से इस केस में दलील दीजिए।

- (a) Discuss with reference to decided cases the criteria laid down by the courts for determining the relationship of master and servant.
  - (b) Are the following 'workman' for the purposes of the Industrial Disputes Act, 1947:
    - (i) Mr. X is employed by a shoe manufacturer for conversing sales and distributing trade literature in a particular locality.
    - (ii) Mr. X, a news boy who sells the newspaper of Y Newspaper company as commission basis.
    - (iii) Mr. X, a school teacher, employed in a 'Public School'.
  - (क) मालिक और सेवक के सम्बन्धों के अवधारण हेतु न्यायालयों द्वारा अधिकथित कसौटी का विवेचन विनिश्चित केसों के सन्दर्भ में कीजिए।
  - (ख) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित कर्मकार हैं:
    - (i) जूतों के एक विनिर्भाता ने मि॰ X को किसी कॉलौनी विशेष में जूतों की बिक्री का प्रचार करने और ट्रैक लिटरेचर बांटने के लिए नियोजित किया है।
    - (ii) एक लड़का मि॰ X जो Y समाचार-पत्र एजेन्सी के समाचार-पत्र कमीशन के आधार पर बेचता है।
    - (iii) किसी "पब्लिक स्कूल" में नियोजित अध्यापक मि॰ X।

- 5. Examine whether the following activities fall within the definition of 'industry' under section 2(j) of the I.D. Act, 1947:
  - (i) School and colleges run by charitable institutions.
  - (ii) A hospital run by the ministry of Health, Govt. of India for treatment of patients and conduct of research in medical sciences.
  - (iii) A firm of solicitors advising people on legal matters having clerks, typists, peons and chowkidars on its payroll.

जांच कीजिए कि क्या निम्निलिखित क्रिया – कलाप औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(j) के तहत 'उद्योग' की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं:

- (i) ख़ैराती संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय तथा महाविद्यालय ।
- (ii) भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रोगियों के उपचार और चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान के संचालन हेतु चलाया जा रहा अस्पताल।
- (iii) विधिक मामलों पर लोगों को सलाह देने वाली सॉलीसिटरों की फर्म जिसमें क्लर्क, टाइपिस्ट, चपरासी तथा चौकीदार वेतन पर काम करते हैं।
- 6. "The law has made a distinction between an illegal strike and one which is not; but has not made any distinction between an illegal strike which may be said to be justifiable and one which is not justifiable. The only question of practical importance which may arise in illegal strike, would be the kind or quantum of

punishment, and that, of course, has to be modulated in accordance with the facts and circumstances of each case."

Do you agree that the above observation is in consonance with the judicial response? Give reasons.

"कानून में उस इड़ताल जो अवैध है तथा उस इड़ताल जो अवैध नहीं है, के बीच भेद किया गया है किन्तु उस अवैध इड़ताल में कोई भेद नहीं किया गया है जिसे न्यायोचित कहा जा सके तथा जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सके। अवैध इड़ताल में व्यावहारिक महत्व का जो प्रश्न उठ सकता है वह दंड की प्रमात्रा के स्वरूप का होगा जिसको प्रत्येक मामले में तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुसार घटाना - बढ़ाना होगा।" क्या आप सहमत हैं कि उपर्युक्त प्रेक्षण न्यायिक प्रतिक्रिया के अनुस्प है? कारण स्पष्ट कीजिए।

## 7. Comment upon any two of the following:

- (a) The power to lay-off a workman is not inherent in the definition of lay-off under Section 2(kkk) of the Industrial Disputes Act, 1947.
- (b) Difference between an 'industrial dispute' and an individual dispute'.
- (c) The Scope and extent of immunity provided by S. 17 of the Trade Unions Act, 1926.

## निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए:

- (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(kkk) के तहत, कामबन्दी की परिभाषा में किसी कर्मकार से कामबन्दी कराने का अधिकार अन्तर्निहित नहीं है।
- (ख) औद्योगिक विवाद और व्यक्तिंश: विवाद के बीच अन्तर।

- (ग) ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त उन्मुक्ति की परिधि तथा विस्तार ।
- 8. "A breakdown of sec. 2(00) unmistakably expands the semantics of retrenchment.

'Termination.... for any reason whatsoever' are the keywords. Whatever the reason, every termination spells retrenchment."

Krishna Iyer, J., in State Bank v. N.S. Money, AIR 1976 SC 1111 at p. 1114.

Comment.

"धारा 2 (00) छंटनी के अर्थतत्व को सुस्पष्ट रूप में फैलाव देती है। पर्यवसान ... चाहे किसी भी कारण से हो, मूल शब्द है। कारण चाहे कोई भी हो प्रत्येक पर्यवसान छंटनी का अर्थ सूचित करता है।" स्टेट बैंक बनाम एन एस. मनी ए आई आर 1976 एस सी 1111, पुष्ठ 1114

टिप्पणी लिखिए।

में न्यायमूर्ति Krishna Iyer ।